शुधर्न नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

<u>प्रथम अपील संख्या 141/2019</u>

डॉ.संदीप गुप्ता
मकान नं.1722
सेक्टर–14,हिसार–125001
मो.न.9992931181

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 15.09..2019
अपील में निर्णय की दिनांक 21.10.2020

<u>निर्णय</u>

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2020 के माध्यम से कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गई सूचना के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक F(1106)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2020/302 दिनांक 02.09.2020 द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर/सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2020 प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। जिस पर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी अपने पत्रांक F(1106)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2020/302 दिनांक 02.09.2020 से आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 02.09.2020 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	वांछित सूचना के बिन्दु	पृष्ठों की गणना एवं देय शुल्क
1.	Certified copy of documents containing lists of the students adimtted under state quota and those under Management quota to the B.V.Sc. & AH course during academic session starting year 2016, 2017,2018 and 2019 at various private veterinary colleges affiliated to the University.	बिन्दू सं. 1 से 4 :– संबंधित महाविधालयों की स्टेट कोटा सीटों पर विश्वविधालय द्वारा आयोजित आर.पी.वी.टी. परीक्षा परिणाम के आधार पर बनी मेरिट सूची अनुसार प्रवेश आवंटित किए जाते है । प्रबन्धन सीटों पर संबंधित महाविधालयों द्वारा प्रवेश विश्व विधालय द्वारा प्रदत अनुमति अनुसार प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिये जाते है । वर्ष 2016, 2017, 2018 व 2019 में इन महाविधालयों में स्टेट कोटा एवं प्रबन्धन कोटा में प्रवेशित छात्रों की सूचियां निम्नानुसार संलग्न की जा रही है :–
2.	Certified copy of documents containing lists of the students adimtted to the B.V.Sc. & AH course during academic session starting year 2016, 2017,2018 and 2019 at various private veterinary colleges affiliated to the University by the management of the respective colleges by conducting their own entrance test. If the information at point 1 and II is same, please specify clearly in your reply .	

3.	Certified copy of documents containing lists of the students adimtted to the B.V.Sc. & AH course during academic session starting year 2016, 2017,2018 and 2019 at various private veterinary colleges affiliated to the University by the management of the respective colleges by following their own procedure.	ए–अरावली वेटरनरी कॉलेज, सीकर बी–अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन , जयपुर सी–महात्मा ज्योतिबा फूले कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड ऐनिमल साइंस, चौमू, जयपुर। (कुल पृष्ठ 19)
4.	Certified copy of documents containing lists of the students Who have been adimtted to the B.V.Sc. & AH course during academic session starting year 2016, 2017,2018 and 2019 at various private veterinary colleges affiliated to the University without appearing in the entrance test conducted by the state Government or by the University.	
5.	Certified copy of documents containing action taken (including file noting) on my representation (Request for enforcing the conditions of the affidavit submitted by the Management of MB veterinary college, Dungarpur and for enforcing the provisions of IVC act 1984) dated 05.10.2019 sent to the chancellor, RAJUVAS (by e mail)	बिन्दू संख्या 5 से वांछित सूचना विश्वविधालय से संबंधित नहीं है ।

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के पत्र दिनांक 02.09.2020 द्वारा प्रदत्त सूचना/प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं होने का उल्लेख करते हुए यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक एफ (अ–141/20)VCS/RAJUVAS/RTI/2020/411 दिनांक 30.09.2020 के द्वारा अपील में सुनवाई हेतु अपीलार्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। आज सुनवाई दिनांक 21.10.2020 को अपीलार्थी अनुउपस्थित रहा लेकिन अपने पत्र 13.09.2020 द्वारा सही व स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। दौरान सुनवाई कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की और से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र दिनांक 02.09.2020 के द्वारा विश्वविधालय के रेकार्ड अनुसार सूचना प्रेषित कर दी गई। अतः अपील निरर्थक हो चुकी है। उक्त तथ्य के मध्यनजर प्रत्यर्थी पक्ष में अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का मनन् किया एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को पत्र दिनांक 02.09.2020 से प्रत्युत्तर/सूचना प्रदान की जा चुकी है तथा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निस्तारण में संपादित की गई कार्यवाही उचित है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नही है अतः अपील अपीलार्थी उक्त तथ्यों व आधारों पर खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

21/10/2020

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर